राजस्थान सरकार

न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 08 / 2024

प्रार्थी–

1. श्री सुरेश कुमार पुत्र श्री सांवलसिंह राजपुरोहित, जाति राजपुरोहित निवासी ब्रहमपुरी समदड़ी, तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा।

बनाम

अप्रार्थीगण–

1. सरपंच, ग्राम पंचायत समदड़ी, तहसील समदड़ी।
2. श्रीमती हेमलता पत्नी श्री प्रकाश चन्द श्रीमाली, जाति श्रीमाली, निवासी करमावास तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 विरूद्ध पट्टा संख्या 131 दिनांक 09.09.2011 जो अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री लाधुराम चौधरी व सांवलराम मेघवाल, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री चेलाराम कुमावत व दिनेश कुमावत, अप्रार्थी सं. 2 की ओर से उपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक :11.02.2025

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा संख्या 131 दिनांक 09.09.2011 के विरूद्ध दिनांक 03.09.2024 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 हेमलता पत्नी प्रकाश चन्द के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत मौजा समदड़ी में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 131 दिनांक 09.09.2011 को जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार 946 वर्ग फीट दर्शाया गया है तथा पड़ौस बदिशा उतर में 43 फीट गिरधारी लाल सोनी, बदिशा दक्षिण में 43 फीट व लीलादेवी पत्नी लेखराज श्रीमाली, पूर्व में 22 फीट सांवलजी पुरोहित एवं पश्चिम में 22 फीट व आम रास्ता आया हुआ है। उक्त पट्टे को जारी करने में

जिला कलक्टर
बालोतरा

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

3. प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर अप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ ग्राम पंचायत समदडी से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता द्वारा पेश जवाब में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 हेमलता पत्नी प्रकाश चन्द के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 के नियम 158 के तहत मौजा समदड़ी में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 131 दिनांक 09.09.2011 को जारी किया गया एवं दिनांक 12.10.2011 को कार्यालय उप पंजीयक, सिवाना में पंजीबद्ध करवाया गया। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पंजीबद्ध पट्टा को निरस्त नहीं किया जा सकता। प्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 38 दिनांक 15.02.2001 में बदिशा पश्चिम में किसी भी तरह का रास्ता अंकित नहीं है एवं प्रार्थी के पिता द्वारा खरीद इकरारनामा के अंकित पड़ौस के पश्चिम दिशा में व इकरारनामा के पैरा संख्या 8 में प्रार्थी के पश्चिम दिशा में विक्रेता जोगराज वगैरा की पैतृक भूखण्ड अंकित किया गया है, न कि किसी भी तरह का रास्ता अंकित किया गया है। अलावा इसके प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र कार्यालय ग्राम पंचायत, समदड़ी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, इसका प्रत्युतर में कार्यालय ग्राम पंचायत, समदड़ी के पत्रांक दिनांक 18.10.2024 में भी प्रार्थी के भूखण्ड के पश्चिम दिशा में रास्ता नहीं होकर श्रीमती हेमलता पत्नी प्रकाशचंद का मकान होना, अंकित किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी के आलोच्य भूखण्ड के बदिशा पश्चिम में किसी भी तरह का रास्ता नहीं पाया गया है। साथ ही वादग्रस्त जायदाद भूखण्ड पर अप्रार्थी द्वारा जल व विद्युत कनेक्शन ले रखा है तथा उक्त आलोच्य भूखण्ड के निर्माण हेतु अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में निर्माण अनुज्ञापत्र भी जारी कर दिया है, जिससे अप्रार्थी संख्या 2 के वादग्रस्त भूखण्ड पर स्वामित्व हक की पुष्टि होती है। अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम आलौच्य पट्टा संख्या 131 दिनांक 09.09.2011 को जारी करने मे सम्पन्न समस्त कार्यवाही विधि अनुसार विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत जारी किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी गलत, झुठे व निराधार तथ्यों पर आधरित तथा सारहीन होने से चलने योग्य नहीं है, जो निगरानी को खारीज की जाए।

5. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस यह कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 का खरीदसुदा, कब्जासुदा व पट्टासुदा रहवासीय भूखण्ड मौजा समदड़ी की आबादी भूमि ब्रहमपुरी में आया हुआ है। प्रार्थी का भी खरीदसुदा, कब्जासुदा व पट्टासुदा रहवासीय भूखण्ड मौजा समदड़ी की आबादी भूमि ब्रहमपुरी में आया हुआ है, जिसका विकय विलेख पट्टा संख्या 38 दिनांक 15.02.2002 को प्रार्थी सुरेश के नाम ग्राम पंचायत समदड़ी जारी किया गया है। पट्टासुद भूमि प्रार्थी के

जिला कलक्टर
बालोतरा

पिता द्वारा जोगराज पुत्र देवदत व्यास से जरिये इकरार के खरीद की हुई थी। बैचान इकरारनामा में उक्त भूखण्ड के बदिशा पश्चिम में स्थित आम बाजार तक जाने के लिये गली छोड़ते हुए बैचान की थी एवं प्रार्थी बाद खरीद निगराकर माफिक खरीद भूमि पर काबिज था एवं बैचानकर्ता द्वारा बदिशा पश्चिम में स्थित छोड़ी गयी गली में से होकर मुख्यतः प्रार्थी द्वारा रास्ते की भूमि से मुख्य बाजार से प्रार्थी द्वारा 20 वर्षों से आवागमन कर रहा कर रहा था। इस कारण प्रार्थी द्वारा भी बदिशा पश्चिम में एक दरवाजा खोल रखा था, जो इसी अनुरूप मौके पर कायम था। कुछ रोज पूर्व अप्रार्थी संख्या 2 व उसके परिवार के सदस्यों द्वारा निगराकार के आवागमन में बाधा उत्पनन करते हुए लड़ाई झगड़ा किया गया एवं पश्चिम दिशा में रास्ता पर दरवाजा को तोड़ दिया गया। अप्रार्थी संख्या 2 मूल रूप से करमावास की निवासी है, जो कभी भी विवादित भूमि पर काबिज नही रहा और न ही अप्रार्थी संख्या 2 के संबंध में विवादित भूमि का हक हिस्सा बेचान, बख्सीस के जरिये हस्तांतरित हुआ। अप्रार्थी संख्या 2 के द्वारा विवादित गली बाबत एवं पट्टा ग्राम पंचायत समदड़ी के द्वारा स्वयं के हक में जारी होना बताकर वादगस्त भूमि को स्वयं की पट्टासुद होना बताया गया। इस प्रकार प्रार्थी के भूखण्ड के बदिशा पश्चिम में ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम आलोच्य पट्टा संख्या 131 दिनांक 09.09.2011 को जारी करने विधि एवं तथ्यों की भारी भूल की है, जिससे अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जारी आलोच्य पट्टा अपास्त किये जाने योग्य है।

6. प्रार्थी के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर अप्रार्थी संख्या 2 के हस्ताक्षर नहीं किया गया है एवं आवदेन के साथ नक्शा भी पेश नहीं किया गया है। उक्त आलोच्य विवादित भूखण्ड पट्टा 131 दिनांक 09.09.2011 में पुराने कब्जे संबंधित कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा किसी भी तरह का उक्त आलोच्य विवादित भूखण्ड/प्लॉट नहीं खरीदा है, बल्कि उक्त भूखण्ड बगेची की थी। प्रार्थी के भूखण्ड में बदिशा पश्चिम में मुख्य बाजार आने का रास्ता था। अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा पट्टा संख्या 131 दिनांक 09.09.2011 को अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी किया गया एवं अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा साल भर बाद उक्त भूखण्ड का पंजीबद्ध करवाया गया है, उचित प्रतीत नहीं होता है। साथ ही उक्त विवादित भूखण्ड से संबंधित मौका रिपोर्ट किसने बनाई इसका कोई उल्लेख नहीं है और न हस्ताक्षर है। कब्जा रिपोर्ट पर कांट छांट की गई। अतः अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा संख्या 131 मिसल संख्या 349/2010 दिनांक 09.09.2011 विधिक पालना नहीं करते हुए जारी किया गया, को निरस्त किये जाने का न्यायहित में आदेश फरमावे।

7. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी के पैरा संख्या 2 में अंकितानुसार पट्टासुद भूमि प्रार्थी ने जोगराज पुत्र देवदत व्यास से जरिये इकरार खरीद की हुई थी, जो भूमि जोगराज व उनके भाइयों के संयुक्त हिस्से की भूमि थी। प्रार्थी के पिता के हक में बेचान कर बदिशा पश्चिम में स्थित आम बाजार तक जाने के लिये गली छोड़ते हुए बैचान की थी।उक्त खरीद भूखण्ड पर प्रार्थी द्वारा पट्टा संख्या 38 दिनांक 15.02.2002

जिला कलक्टर
बालोतरा

को अपने पक्ष में जारी करवाया गया। इस संबंध में पत्रावली के संलग्न दस्तावेज के अनुसार प्रार्थी के पिता सांवल सिंह ने जोगराज पुत्र देवदत जरिये इकरार के दिनांक 04.07.2001 में खरीद गई, जिसमें बदिशा पश्चिम में विक्रेता जोगराज व अन्य की पैतृक भूमि होना अंकित किया गया है एवं इकरारनामा के पैरा संख्या 8 भी बदिशा पश्चिम में किसी तरह का रास्ता अंकित नहीं है, बल्कि विक्रेता जोगराज व अन्य की पैतृक जायदाद दर्शाया गया है। अलवा इसके कार्यायल ग्राम पंचायत समदड़ी के पत्रांक दिनांक 18.10.2024 में भी प्रार्थी के भूखण्ड के पश्चिम दिशा में रास्ता नहीं होकर श्रीमती हेमलता पत्नी प्रकाशचंद का मकान अंकित किया गया है एवं प्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 38 दिनांक 15.02.2002 में भी बदिशा पश्चिम में रास्ता नहीं दर्शाया गया है तथा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष जारी पट्टा 131 दिनांक 09.09.2011 के पड़ौस बदिशा पूर्व में रास्ता नहीं दिखा कर प्रार्थी के पिता सांवलजी पुरोहित दर्शाया गया। इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 38 दिनांक 15.02.2002 के पड़ौस में बदिशा पश्चिम में रास्ता नहीं होकर अप्रार्थी संख्या 2 का भूखण्ड है। अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 हेमलता पत्नी प्रकाश चन्द के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1996 के नियम 158 के तहत मौजा समदड़ी में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 131 दिनांक 09.09.2011 को जारी किया गया एवं दिनांक 12.10.2011 को कार्यालय उप पंजीयक, सिवाना में पंजीबद्ध करवाया गया है, जो कि पंजीबद्ध पट्टा को निरस्त नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी द्वारा आलोच्य पट्टा संख्या 131 को चुनौती दी गई है, न कि संकल्प संख्या 4 दिनांक 19.12.2010 को चुनौती दी गई है। वादग्रस्त जायदाद पर अप्रार्थी द्वारा जल व विद्युत कनेक्शन ले रखा है तथा उक्त आलोच्य भूखण्ड के निर्माण हेतु अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में निर्माण अनुज्ञापत्र भी जारी कर दिया है, जिससे अप्रार्थी संख्या 2 के वादग्रस्त भूखण्ड पर स्वामित्व हक की पुष्टि होती है। अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम आलौच्य पट्टा संख्या 131 दिनांक 09.09.2011 को जारी करने मे सम्पन्न समस्त कार्यवाही विधि अनुसार विहित प्रक्रिया के अन्तर्गत जारी किया गया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी गलत, झुठे व निराधार तथ्यों पर आधारित तथा सारहीन होने से चलने योग्य नहीं है।

8. हमने पत्रावली में उभय पक्षकारान के अधिवकतागण की बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा मिसल संख्या 349/2010 पर पंचायत की बैठक में संकल्प संख्या 04 फैसल दिनांक 19.12.2010 के अनुसरण में आलौच्य पट्टा सं. 131 दिनांक 09.09.2011 को अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी किया गया है। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी के पैरा संख्या 2 में अंकितानुसार व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने प्रकट किया कि प्रार्थी द्वारा खरीद की गई भूखण्ड पर प्रार्थी के नाम जारी पट्टा संख्या 38 दिनांक 15.02.2002 के आवासीय मकान के बदिशा पश्चिम की ओर रास्ता होना प्रकट किया। इस संबंध में पत्रावली के संलग्न दस्तावेज के अनुसार प्रार्थी के नाम जारी पट्टा संख्या 38 दिनांक 15.02.2002 का अवलोकन से बदिशा पश्चिम में कोई रास्ता अंकित नहीं है, होना पाया गया एवं अप्रार्थी

जिला कलक्टर
जालोतरा

संख्या 2 के पक्ष में जारी आलोच्य पट्टा में अंकित पड़ौसी के तौर पूर्व दिशा में प्रार्थी के पिता सांवल सिंह का मकान होना बताया गया। अलावा इसके कार्यालय ग्राम पंचायत समदड़ी के समक्ष प्रार्थी सुरेश कुमार द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र के प्रत्युतर में कार्यालय ग्राम पंचायत समदड़ी के पत्रांक दिनांक 18.10.2024 में शिकायतकर्ता श्री सुरेशकुमार के भूखंड के पश्चिम दिशा में रास्ता नहीं होकर श्रीमती हेमलता पत्नी श्री प्रकाशचंद का मकान है, बताया गया एवं प्रार्थी के पिता श्री सांवलसिंह ने जोगराज पुत्र श्री देवदत से खरीद इकरारनामा में भूखण्ड के पड़ौसी के तौर पर पश्चिम दिशा में व इकरारनामा के पैरा संख्या 8 में पश्चिम दिशा में रास्ता न बताकर विक्रेता जोगराज व अन्य की पैतृक भूमि होना बताया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के भूखण्ड के बदिशा पश्चिम की ओर किसी भी प्रकार का रास्ता होना प्रतीत नहीं होता है। अधिवक्ता प्रार्थी ने यह भी प्रकट किया कि अप्रार्थी संख्या 2 ने बिना हस्ताक्षर के अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसका आलौच्य पट्टा विलेख जारी करने से पूर्व किसी प्रकार का मौका निरीक्षण नहीं किया, न ही सार्वजनिक आपत्ति का नोटिस प्रकाशित किया तथा मौका रिपोर्ट में कांट छांट की गई व पुराने कब्जा संबंधित कोई रेकर्ड उपलब्ध नहीं होना, जिसके अभाव में पंचायत द्वारा की गई कार्यवाही दूषित होने से आलौच्य पट्टा विलेख निरस्त योग्य हैं। इस संबंध मे अधीनस्थ ग्राम पंचायत समदड़ी से तलब किया गया अभिलेख का अवलोकन करने से पाया जाता हैं कि अप्रार्थी सं. 2 ने दिनांक 07.12.2010 को सरपंच, ग्राम पंचायत समदड़ी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम आबादी मे अपने कब्जाशुदा भूखण्ड का पट्टा जारी करने का निवेदन किया, जिसकी पुष्टि ग्राम पंचायत की आदेशिका एवं बैठक कार्यवाही रजिस्टर में अंकित प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 07.12.2010 से होती है, जिस पर पत्रावली संधारित की जाकर मौका कमेटी से निरीक्षण रिपोर्ट लिये जाने की आदेशिका जारी हुई है। इसके पश्चात दिनांक 08.12.2010 को तीन वार्ड पंचों की मौका कमेटी की निरीक्षण रिपोर्ट पेश हुई, जिसमें अप्रार्थी के पक्ष मे नियम 157(2) के तहत नियमितीकरण की सिफारिश की गई। मौका निरीक्षण रिपोर्ट शामिल पत्रावली की जाकर सार्वजनिक आपत्तियां आमंत्रित करने का नोटिस जारी किया गया, जिस पर निर्धारित अवधि मे कोई आपत्ति पेश नहीं होने पर दिनांक 19.12.2010 को पट्टा जारी करने का आदेश जारी किया गया हैं। ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा आलौच्य पट्टा से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई मूल पत्रावली व रेकर्ड (मिसल, आदेशिका एवं बैठक कार्यवाही रजिस्टर) के अवलोकन से यह पाया जाता हैं कि ग्राम पंचायत द्वारा सम्पूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए आलोच्य पट्टा संख्या 131 दिनांक 09.09.2011 जारी होना बताया गया। जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पंचायतीराज अधिनियम 1996 के संपूर्ण नियम का विधिसम्मत प्रकिया अपनाकर उक्त आलोच्य पट्टा नियम 157(2) के तहत अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में पट्टा संख्या 131 दिनांक 09.09.2011 को जारी किया गया है तथा ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने मे किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता, अनियमितता किया जाना नहीं पाया गया। साथ ही पत्रावली के संलग्न दस्तावेज के अनुसार वादग्रस्त जायदाद भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपने नाम का जल व विद्युत कनेक्शन लेना पाया गया तथा उक्त आलोच्य भूखण्ड के निर्माण हेतु अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में निर्माण अनुज्ञापत्र भी जारी होना

जिला कलक्टर
बालोतरा

बताया गया, जिससे अप्रार्थी संख्या 2 के वादग्रस्त भूखण्ड पर स्वामित्व हक की पुष्टि प्रतीत होती है। इस प्रकार प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रकट इस तथ्य अनुसार कोई अनियमितता अथवा अवैधता साबित नहीं होती हैं। जहां तक प्रार्थी के अधिवक्ता का मूल अभिकथन हैं कि प्रार्थी के भूखण्ड के बदिशा पश्चिम में रास्ता कायम रहा है, तो इसके समर्थन मे प्रार्थी की ओर से ऐसा कोई ठोस साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह साबित हों कि प्रार्थी के भूखण्ड के बदिशा पश्चिम में रास्ता है। इस निगरानी प्रार्थना पत्र के द्वारा धारा 97 के तहत आलौच्य पट्टा विलेख जारी करने के आदेश की सत्यता, वैधता एवं औचित्यता को देखा जाना है तथा यह एक सरसरी जांच कार्यवाही हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत की पत्रावली के अवलोकन से किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक त्रुटि के अभाव में प्रार्थीगण की इस निगरानी में धारा 97 में विहित आधार नहीं बनता हैं। ऐसे में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना पत्र धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम में यथाविहित अनियमितता, अपूर्णता एवं अवैधता की कसौटी पर तथा सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होता हैं।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना पत्र जांच एवं परीक्षण उपरांत सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों पर आधारित होने से खारिज किया जाकर आलौच्य पट्टा संख्या 131 दिनांक 09.09.2011 को यथावत बहाल रखा जाता हैं तथा अधिनस्थ ग्राम पंचायत का विलेख निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब प्रेषित हो।

10. निर्णय आज दिनांक 11.02.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार यादव)
जिला कलेक्टर, बालोतरा
जिला कलक्टर
बालोतरा